न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम — सुश्री श्वेता कोचर (आरएएस०)

वाद सं0 : 04 सन 2022

अनवान :—

1. जयसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :— श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :— 21/02/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 121/121 की कुल 8.6880हैक भूमि में सायल का 215/4344 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सायल का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु सायल निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

सायल का निवास स्थान जोगीवाला तहसील भादरा है जबकि राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान मेघाना तहसील नोहर अंकित है तो गलत है सायल अपना निवास स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान जोगीवाला तहसील भादरा अंकित है ।

सायल ने अपने निवास स्थान के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड , भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र , पेश किया जिनमें सायल का निवास स्थान जोगीवाला तहसील भादरा दर्ज है।

सायल का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिये सायल अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान संशोधन करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबूती के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 121/121 की कुल 8.6880हैक भूमि में सायल का 215/4344 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सायल का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु सायल निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

सायल का निवास स्थान जोगीवाला तहसील भादरा है जबकि राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान मेघाना तहसील नोहर अंकित है तो गलत है सायल अपना निवास

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान जोगीवाला तहसील भादरा अंकित है ।

सायल ने अपने निवास स्थान के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड , भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र , पेश किया जिनमें सायल का निवास स्थान जोगीवाला तहसील भादरा दर्ज है।

सायल का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नही हो पा रही है इसलिये सायल अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 121/121 की कुल 8.6880हैक भूमि में सायल का 215/4344 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल का कथन है सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है किन्तु निवास स्थान गलत तौर से दर्ज है जिसे सही करवाना चाहता है।

सायल ने अपने कथनों के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड , भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र पेश किया जिनमें सायल का निवास स्थान जोगीवाला तहसील भादरा अंकित है एवं निवास स्थान के समर्थन में स्वय ने शपथ पत्र /सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक भी पेश किया अर्थात सायल के प्रस्तुत दस्तावेजात /सरपंच की तस्दीक के अनुसार सायल का निवास स्थान जोगीवाला तहसील भादरा होना प्रतीत होता है।प्रस्तुत साक्ष्यों/सबुतो के अधार प्रार्थी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 121/121 की कुल 8.6880हैक भूमि में सायल का 215/4344 हिस्सा भूमि में सायल का निवास स्थान मेधाना तहसील नोहर अंकित है के स्थान पर जोगीवाला तहसील भादरा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/02/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/ 604 दिनांक :– 25/02/2022

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 13/2021 अनवानी जयसिह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. जयसिह पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 04/2022 अनवानी जयसिह बनाम सरकार में दिनांक 24/02/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 121/121 की कुल 8.6880हैक भूमि में सायल का 215/4344 हिस्सा भूमि में सायल का निवास स्थान मेधाना तहसील नोहर अंकित है के स्थान पर जोगीवाला तहसील भादरा संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner